भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1131**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी की कमी

1131. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तालुका में किसानों को फसलों की बुवाई के लिए डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो वर्तमान में गोंडपिपरी तालुका में डीएपी उर्वरक की कुल कितनी मांग है और वास्तव में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा कितनी है तथा उक्त उर्वरक की कमी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को कतिपय लोगों द्वारा डीएपी उर्वरक की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने और इसकी कीमतों में वृद्धि करने की शिकायतें मिली हैं;
(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमिततओं में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा किसान सहकारी संस्थाओं और कृषि केंद्रों पर डीएपी उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने और किसानों को समय पर और उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान महाराष्ट्र राज्य में डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 22.07.2025 तक, राज्य में 2,89,000 मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता की तुलना में 2,98,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है और राज्य के पास वर्तमान में 1,11,000 मीट्रिक टन डीएपी का अंतिम स्टॉक है। तथापि, राज्य के भीतर ज़िला/तालुका स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, डीएपी उर्वरक की कृत्रिम मानवनिर्मित कमी और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ङ.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकता के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कम्पनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी तय की जाती है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

****